ए-12013/02/2015-प्रशा.I (बी)
भारत सरकार
नीति आयोग

दिनांक 29 जुलाई, 2020

विषय: नीति आयोग में परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलो के नियोजन की प्रक्रिया और दिशानिर्देश।

****

दिनांक 01.08.2018 के सेवाएं लेने संबंधी प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों" का अधिक्रमण करते हुए नीति आयोग में परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनलों की सेवाएं लेने संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही हैं जो इन दिशानिर्देशों को संशोधित किए जाने तक अथवा नए दिशानिर्देशों के जारी होने तक प्रभावी रहेंगे। ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

1. प्रयोजन और आवेदन का दायरा

1.1 नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद, नागरिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने, अवसर उपलब्ध कराने, सहभागितापूर्ण और अंगीकारी शासन तथा विकास प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निदेशात्मक और कार्यनीतिक सुझाव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का भी अधिदेश दिया गया है जिसके लिए कार्मिकों को काम पर रखने के मामले में पूर्ववर्ती योजना आयोग की तुलना में अधिक लचीलापन अपेक्षित है। अपेक्षित कौशल रखने वाले यंग प्रोफेशनलों/परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं का होना अनिवार्य है। इन यंग प्रोफेशनल्स/परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं से उन क्षेत्रों में योगदान दिए जाने की प्रत्याशा की जाएगी जिन क्षेत्रों में नीति आयोग के ढांचे के अंतर्गत आंतरिक विशेषज्ञता सुलभ नहीं है। ये उच्च स्तर के व्यावसायिक होने चाहिए और नीति आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार अर्थशास्त्र, वित्त, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, शहरी आयोजना, अवसंरचना आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी सुविज्ञता प्रदान करने में समर्थ हों।

1.2 प्रोफेशनल्स/परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं के सेवा अनुबंध की सामान्य शर्तों को उनके व्यक्तिगत अनुबंधों में शामिल किया जाएगा।

2. परिभाषाएं: वर्तमान अनुदेशों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित परिभाषाएं अनुप्रयुक्त होंगीः

2.1 **"व्यक्तिगत परामर्शदाता अथवा सेवा प्रदाता"** का अर्थ है-यंग प्रोफेशनल्स अथवा परामर्शदाता ग्रेड-1 अथवा परामर्शदाता ग्रेड-2 अथवा वरिष्ठ परामर्शदाता जो उनके अनुभव पर निर्भर करेगा। अगर पूरी टीम का होना ज़रुरी न माना गया हो,तो व्यक्तिगत परामर्शदाताओं अथवा सेवा प्रदाताओं की भर्ती भी उन्हीं कार्यों के लिए की जाती है जो परामर्श/सेवा प्रदाता प्रतिष्ठान करते हैं। ये स्वतंत्र विशेषज्ञ हो सकते हैं जो किसी प्रतिष्ठान विशेष से स्थायी रूप से संबद्ध न हों अथवा वे किसी व्यक्तिगत आधार पर भर्ती किए गए किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी हो सकते हैं। वे किसी एजेंसी, संस्था या विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी हो सकते हैं। सामान्यतः, उनकी भर्ती परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, किसी अत्यधिक तकनीकी विषय पर विशेषज्ञ राय लेने, विशिष्ट अध्ययनों, अनुपालन पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण अथवा कार्यान्वयन अनुवीक्षण के प्रावधान के लिए की जाती है। परियोजना तैयारी के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाताओं/सेवा प्रदाताओं की भर्ती सामान्यतः तब तक नहीं की जाती जब तक प्रस्तावित परियोजना सरल न हो और जो प्रायः पहले ही से स्थापित और सफल परियोजना का दुहराव होती है।

2.2 "परामर्शी सेवाओं" में ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो सलाहकारी अथवा पेशेवर प्रकृति की हैं और जो परामर्शदाताओं द्वारा दी जाती हैं। इन सेवाओं में विशेषज्ञ अथवा कार्यनीतिक सलाह देना शामिल होता है,जैसे- प्रबंधन परामर्शदाता, नीति परामर्शदाता अथवा संचार परामर्शदाता। उदाहरण के लिए, सलाहकारी और परियोजना संबंधी परामर्शदात्री सेवाओं में व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन, अभियांत्रिकी सेवाएं, वास्तुशास्त्रीय सेवाएं, वित्त लेखा और कराधान सेवाएं, प्रशिक्षण और विकास।

3. अनुबंध के नियम और शर्तें

3.1 **विधिक स्थितिः** नीति आयोग में व्यक्तिगत परामर्शदाता की विधिक हैसियत एक स्वतंत्र परामर्शदाता की होगी और उसे किसी भी प्रयोजन से नीति आयोग के "कर्मचारी सदस्य" या नीति आयोग का "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। तदनुसार, अनुबंध के अंतर्गत अथवा इससे संबंधित किसी बात से नीति आयोग और व्यक्तिगत परामर्शदाता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का अथवा प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध स्थापित नहीं होगा।

3.2 **आचरण के मानदंड**

3.2.1 सामान्यतः, व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध में उल्लिखित अपने दायित्वों के निष्पादन के मामले में नीति आयोग से बाहर के किसी प्राधिकारी से न तो कोई अनुदेश मांगेंगे और न ही स्वीकार करेंगे। व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के निष्पादन अथवा अन्यथा के मामले में अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को लेकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे नीति आयोग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यक्तिगत परामर्शदाता नीति आयोग के हितों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करेंगे। व्यक्तिगत परामर्शदाता से यह अपेक्षित है कि वह उनके अनुबंध के निष्पादन से अथवा पंचाट(अवार्ड) से नीति आयोग के किसी प्रतिनिधि, कर्मचारी अथवा अन्य एजेंट को न तो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिले और न ही किसी लाभ की पेशकश की जाए। व्यक्तिगत परामर्शदाता ऐसे सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे जिनका अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अनुबंध के निष्पादन के क्रम में, व्यक्तिगत परामर्शदाता आचरण के मानदंडों का अनुपालन करेंगे। इस अनुपालन में विफल रहना व्यक्तिगत परामर्शदाता की सेवा समाप्ति का आधार होगा।

3.2.2 **यौन शोषण और दुर्व्यवहार का निषेधः** व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के निष्पादन के क्रम में, कार्यस्थल पर महिलाओं का "यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013" का अनुपालन करेगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि इसमें से किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना अनुबंध की अनिवार्य शर्त का उल्लंघन करना होगा और किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी अन्य विधिक अधिकारों अथवा उपचारों के अतिरिक्त, इससे अनुबंध समाप्त किए जाने के आधार तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें निहित किसी भी अन्य बात से, आचरण के पूर्वगामी मानदंडों की अवहेलना को समुचित विधिक कार्रवाई हेतु संगत राष्ट्रीय प्राधिकारियों को संदर्भित करने का नीति आयोग का अधिकार सीमित नहीं होगा ।

3.3 **स्वामित्व अधिकार, कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य मालिकाना हक़ः**

3.3.1 अनुबंध में उल्लिखित किसी भी दायित्व के निष्पादन हेतु व्यक्तिगत परामर्शदाता को नीति आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी उपकरण अथवा आपूर्ति का स्वामित्व नीति आयोग का ही होगा और अनुबंध समाप्त हो जाने पर अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के लिए आवश्यक न रह जाने पर ऐसा हर उपकरण नीति आयोग को लौटाना होगा। नीति आयोग को लौटाते समय ऐसे उपकरण की स्थिति वही होनी चाहिए जो व्यक्तिगत परामर्शदाता के प्राप्त करते समय थी अर्थात् इसमें टूट-फूट न हुई हो और उपकरण को हुए ऐसे किसी भी नुक़सान के लिए क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत परामर्शदाता का ही होगा जो सामान्य टूट-फूट की सीमा से अधिक हो।

3.3.2 नीति आयोग अनुबंध के तहत व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा विकसित उत्पादों, प्रक्रियाओं, अन्वेषणों, विचारों, तौर-तरीक़ों अथवा दस्तावेजों और अन्य सामग्री के संबंध में समस्त बौद्धिक सम्पदा और अन्य स्वामित्व अधिकारों का पात्र होगा, जो केवल पेटेंट, कॉपीराइट अथवा ट्रेडमार्क तक

सीमित नहीं है और जिसका अनुबंध के निष्पादन के परिणामस्वरूप अथवा के क्रम में उत्पादित अथवा तैयार की गई अथवा संग्रहीत से सीधा संबंध है और व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से भी सहमति व्यक्त करता है कि ऐसे उत्पाद, दस्तावेज और अन्य सामग्री को नीति आयोग के उपयोग के लिए निर्मित ही माना जाएगा। पूर्वगामी प्रावधानों के अध्यधीन, व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा संकलित अथवा प्राप्त समस्त नक्शे, रेखाचित्र (ड्राइंग), तस्वीरें, पच्चीकारी, योजनाएं, प्रतिवेदन, अनुमान, सिफारिशें, दस्तावेज और सभी अन्य डेटा नीति आयोग की संपत्ति होंगे और इन्हें उपयुक्त समय तथा स्थान पर नीति आयोग को उपयोग अथवा निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, गोपनीय माना जाएगा और अनुबंध के तहत कार्य पूरा हो जाने पर केवल नीति आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

3.4 **दस्तावेज और सूचना की गोपनीय प्रकृतिः** व्यक्तिगत परामर्शदाता भारतीय आधिकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अध्यधीन होगा। नीति आयोग की पूर्व संस्वीकृति के बिना व्यक्तिगत परामर्शदाता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका में अपने या किसी छद्म नाम से अथवा छद्म तरीक़े से ऐसी कोई पुस्तक या आलेख संकलन प्रकाशित नहीं करेगा अथवा रेडियो प्रसारण में हिस्सा नहीं लेगा अथवा किसी आलेख अथवा पत्र में योगदान नहीं करेगा, जिस पुस्तक, आलेख, प्रसारण अथवा पत्र का संबंध उसे नीति आयोग द्वारा सौंपे गए विषय से हो।

3.5 **नीति आयोग का नाम, प्रतीक अथवा सरकारी मुहर का उपयोग:** व्यक्तिगत परामर्शदाता अपने कार्यों के सिलसिले में अथवा अन्यथा बिना नीति आयोग की लिखित अनुमति के किसी वाणिज्यिक लाभ के प्रयोजन से यह विज्ञापित नहीं करेगा अथवा अन्यथा सार्वजनिक नहीं करेगा कि उसका नीति आयोग के साथ कोई अनुबंध है, न ही व्यक्तिगत परामर्शदाता किसी भी रूप में नीति आयोग के नाम, प्रतीक-चिह्न अथवा सरकारी मुहर का इस्तेमाल करेगा अथवा नीति आयोग के नाम से किसी शब्द-संक्षेप का उपयोग करेगा।

3.6 **बीमाः** व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपयुक्त बीमा को बनाए रखने अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के निजी व्यय पर जीवन,स्वास्थ्य और ऐसा अन्य प्रकार का बीमा लेने की व्यवस्था करेगा जो अनुबंध अवधि के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाता को उपयुक्त प्रतीत हो।

3.7 **यात्रा, चिकित्सा अनुमति और सेवा के दौरान मृत्यु, चोट अथवा रुग्णताः**

3.7.1 नीति आयोग व्यक्तिगत परामर्शदाता से <u>नीति आयोग के किसी कार्यालय में अथवा परिसर में कार्य प्रारम्भ करने देने से पूर्व, किसी मान्यताप्राप्त फिजिशियन से अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र</u> लाने को कह सकता है।

3.7.2 अनुबंध की शर्तों के तहत नीति आयोग के किसी कार्यालय में अथवा नीति आयोग अथवा भारत सरकार के परिसर में सेवा निष्पादन नीति आयोग के व्यय पर यात्रा के दौरान व्यक्तिगत परामर्शदाता की मृत्यु, चोट अथवा रुग्णता के मामले में, व्यक्तिगत परामर्शदाता अथवा व्यक्तिगत परामर्शदाता के आश्रित, जैसा भी उचित हो, किसी प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे।

3.8 **अप्रत्याशित घटना और अन्य शर्तें:**

3.8.1 यहां प्रयुक्त अप्रत्याशित घटना का अर्थ किसी ऐसी अनदेखी अथवा अप्रतिरोध्य प्राकृतिक घटना अथवा युद्ध की स्थिति (घोषित अथवा अघोषित), आक्रमण, क्रांति, विद्रोह अथवा इसी प्रकृति अथवा तीव्रता वाली किन्हीं स्थितियों से है, बशर्ते ये स्थितियां नियंत्रण से इतर कारणों से और बिना व्यक्तिगत परामर्शदाता की चूक या ढिलाई के उत्पन्न हुई हों।

3.8.2 व्यक्तिगत परामर्शदाता इस बात से सहमत है कि अनुबंध के अंतर्गत किन्हीं दायित्वों के निर्वहन के मामले में अथवा नीति आयोग से वर्तमान में संबंधित अथवा भविष्य में संबंधित होने वाले किन्हीं क्षेत्रों में, अथवा किसी शांतिरक्षण,मानवीय अथवा सदृश अभियानों से पृथक होने की स्थिति में ऐसे क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों अथवा ऐसे क्षेत्रों में हो रहे नागरिक उपद्रव की घटनाओं से संबंधित ऐसे

दायित्वों के निर्वहन में विलम्ब अथवा विफलता को अनुबंध के अंतर्गत स्वयं ही अप्रत्याशित घटना नहीं मान लिया जाएगा।

3.9. सेवा समाप्तिः नीति आयोग अनुबंध को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द कर सकेगा। हालांकि, आयोग व्यक्तिगत परामर्शदाता को एक महीने का नोटिस देगा। व्यक्तिगत परामर्शदाता भी नीति आयोग को एक माह का नोटिस देकर अपनी सेवा-समाप्ति का अनुरोध कर सकता है।

3.10 **लेखा परीक्षा और जांचः** नीति आयोग द्वारा भुगतान किये गये प्रत्येक एनवायस की भुगतान के बाद लेखा-परीक्षकों द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय और अनुबंध की समाप्ति अथवा पूर्व-समाप्ति के दो (2) वर्ष तक के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी-चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, नीति आयोग का हो अथवा नीति आयोग द्वारा प्राधिकृत और अर्ह एजेंटों द्वारा हो। नीति आयोग ऐसी लेखापरीक्षा में दर्शाई गई ऐसी कोई भी राशि व्यक्तिगत परामर्शदाता से वापस लेने का पात्र होगा जिसका नीति आयोग ने व्यक्तिगत परामर्शदाता को भुगतान किया है- सिवाए उसके जो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुरुप हो। व्यक्तिगत परामर्शदाता सहमत है कि नीति आयोग समय-समय पर अनुबंध अथवा उसके पंचाट, अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित दायित्वों और अनुबंध के निष्पादन से सामान्यतः संबंधित व्यक्तिगत परामर्शदाता के अभियानों के किसी भी पहलू की जांच कर सकता है। ऐसी जांच करने और ऐसी जांच के अनुपालन का व्यक्तिगत परामर्शदाता का दायित्व अनुबंध की समाप्ति अथवा पूर्व-समाप्ति से विलोपित नहीं हो जाता। व्यक्तिगत परामर्शदाता ऐसी किसी भी जांच, भुगतान-पश्चात लेखापरीक्षाओं अथवा जांचों में पूरा और सही समय पर सहयोग देगा। इस सहयोग में, व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त समय पर और उपयुक्त शर्तों पर व्यक्तिगत अथवा अन्य संगत दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा व्यक्तिगत परामर्शदाता के निजी और संगत दस्तावेज तक पहुंच के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाता के परिसरों में उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त शर्तों पर प्रवेश की अनुमति देना शामिल है,हालांकि यह इतने तक ही सीमित नहीं है।

3.11 **विवाद निपटानः** नीति आयोग और व्यक्तिगत परामर्शदाता अनुबंध अथवा उसके उल्लंघन, समापन अथवा अवैधता से उत्पन्न होने वाले विवाद अथवा दावे के सौहार्दपूर्ण निपटान के सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

3.12 **विवाचनः** अनुबंध अथवा उसके उल्लंघन, समापन अथवा अवैधता से उत्पन्न होने वाले विवाद अथवा दावा सौहार्दपूर्ण न निपटाए जा सकने की स्थिति में, उक्त के अनुसार, दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विवाचन हेतु संदर्भित किया जा सकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवाद निपटारे के लिए किसी विवाचक की नियुक्ति कर सकते हैं।

3.13 हित-विरोधः परामर्शदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह भारत सरकार के समूह "क" अधिकारियों पर अनुप्रयोज्य समस्त नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। उनसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ईष्टतम ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और नेकनीयती की अपेक्षा की जाएगी। अगर परामर्शदाता की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जातीं अथवा सरकार के हितों के प्रतिकूल पाई जाती हैं, तो बिना कोई कारण बताए उनकी सेवाएं बीच में ही समाप्त की जा सकती हैं।

4. **विचारार्थ विषय**

4.1 यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व वर्टिकलों के प्रमुखों का होगा कि वे व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विस्तृत विचारार्थ विषयों को तैयार करें और आगे की कार्रवाई हेतु कार्यकारी अथवा प्रशासनिक कार्यालय को अनुलग्नक-।. के अनुसार प्रस्तुत करें।

4.2 विचारार्थ-विषय अनिवार्य हैं और ये प्रत्येक संविदा का एक भाग होंगे। विचारार्थ-विषयों में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य और किए जाने वाले कार्य शामिल होंगे। लक्ष्य और कार्य विशिष्ट, परिमेय, प्राप्य, परिणाम-आधारित और समयबद्ध होंगे।

5. **सामान्य निबंधन और शर्तें**

5.1 **कार्यकाल:** प्रत्येक परामर्शदाता को वर्टिकलों की आवश्यकतानुसार विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक निश्चित अवधि के लिए नियोजित किया जाएगा परंतु यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, प्रथम और उत्तरवर्ती वर्षों के बाद उनका अपने-अपने पदों पर बना रहना, स्पष्ट रूप से परिभाषित मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों के आधार पर संतोषजनक वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा पर निर्भर करेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अपवादी परिस्थितियों में कार्यकाल को तीन वर्ष से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

5.2 यथा-निर्धारित अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यावसायिकों को परामर्शदाताओं के रूप में नियोजित किया जाएगा। जीएफआर 2017 के नियम 177 के अनुसार परामर्शी सेवाओं में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष नियोजन शामिल नहीं है। तथापि, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया जा सकता है। इस नियम के तहत उन्हें नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध परामर्शदाता के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को केवल विशिष्ट कार्यों और विशिष्ट अवधि के लिए ही परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया जा सकता है। उन्हें आउटपुट के संबंध में स्पष्ट लक्ष्य सौंपे जाने चाहिए।

5.3 परामर्शदाताओं को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं को नीति आयोग में कंसल्टेंसी की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य लेने की स्वीकृति नहीं होगी।

5.4 परामर्शदाताओं की नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की है और नीति आयोग द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

5.5 अंशकालिक परामर्शदाताओं को इस शर्त के अध्यधीन नियुक्त किया जाएगा कि उनके द्वारा नीति आयोग में किए जा रहे कार्य के संबंध में उनका कोई हितों का टकराव न हो।

5.6 **परामर्शदाताओं की संख्या:** नीति आयोग द्वारा नियोजित किए जाने वाले परामर्शदाताओं की कुल संख्या किसी विशिष्ट समय पर वास्तविक आवश्यकता और बजट के प्रावधान पर निर्भर करेगी।

6. शैक्षिक अर्हताएं, आयु, अनुभव और पारिश्रमिक:

6.1 **शैक्षिक अर्हता:** सामान्यतया, निम्नलिखित अर्हताएं अपेक्षित हैं, तथापि, वर्टिकलों की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार कोई विशिष्ट शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जा सकती है।

अनिवार्य – संगत विषय में मास्टर डिग्री या बीई/बी.टेक या प्रबंधन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एमबीबीएस या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यूए या 10+2 के बाद हासिल 4 वर्षीय या इससे अधिक अवधि के अध्ययन के उपरांत अर्जित कोई भी व्यावसायिक डिग्री।

वांछनीय – एम.फिल., पीएचडी, अतिरिक्त अर्हताओं, अनुसंधान अनुभव, प्रकाशित शोध-पत्रों तथा संगत विषय में अर्हता उपरांत अनुभव वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 **अनुभव, आयु और पारिश्रमिक:**

पद का नाम	अनुभव वर्षों में*	अधिकतम आयु (सीमा)	पारिश्रमिक (रु. में)
यंग प्रोफेशनल	1	32 वर्ष	60,000
परामर्शदाता श्रेणी 1	3-8	45 वर्ष	80,000 - 1,45,000
परामर्शदाता श्रेणी 2	8-15	50 वर्ष	1,45,000 - 2,65,000

वरिष्ठ परामर्शदाता	15 वर्ष और अधिक	62 वर्ष	2,65,000 – 3,30,000

*अर्हता-उपरांत अनुभव में पीएचडी धारक के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन 3 वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा।

6.3 परामर्श-सेवा मूल्यांकन समिति परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता के पदों के लिए समेकित पारिश्रमिक निश्चित करेगी। समेकित पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे और किसी भी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3 (क) एक वर्ष से अधिक के अनुबंध के मामले में, एक वर्ष पूरा होने के पश्चात् वार्षिक आधार पर पारिश्रमिक की समीक्षा की जा सकती है। पारिश्रमिक में वृद्धि निम्नलिखित मानदण्डों के अनुरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के अनुमोदन से गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर की जा सकेगी।

कार्य निष्पादन#	**पारिश्रमिक में वृद्धि**
केवल नियमित/नियत कार्य निष्पादित	शून्य
व्यक्तिगत परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल, जिन्होंने अपने डोमेन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और नियत विशिष्ट कार्य पर उच्च प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित वांछनीय आउटपुट प्रदान करने में विशेष गुणवत्ता दर्शाई हो।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से पारिश्रमिक के 5% तक
असाधारण मामले में, जहां वैयक्तिक परामर्शदाता ने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं/मैगज़ीन / समाचार पत्र में प्रकाशित हुए हैं या किताबें आदि लिखी है	उपाध्यक्ष के अनमोदन से पारिश्रमिक के 10% तक

प्रदर्शन केवल एपीआर ग्रेडिंग के आधार पर नहीं आंका जाएगा । प्रतिष्ठित पत्रिकाओं/मैगज़ीन / समाचार पत्र में प्रकाशित लेख या किसी भी वैयक्तिक परामर्शदाता / यंग प्रोफेशनेल द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा जब पारिश्रमिक आदि में वृद्धि के लिए मामलों का मूल्यांकन/निर्णय लेना होगा।

6.3 (ख) किसी भी मामले में प्रतिवर्ष पारिश्रमिक की वृद्धि 10% से अधिक नहीं होगा ।

6.3 (ग) ऊपर उल्लिखित होने के बावजूद, किसी भी मामले में किसी वैयक्तिक परामर्शदाता का पारिश्रमिक प्रारंभिक पारिश्रमिक के 1.25 गुना से अधिक नहीं होगा ।

6.4 विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट पदों के लिए काम पर रखने संबंधी मानदंडों को और अधिक परिभाषित किया जा सकता है।

6.5 सीईसी द्वारा अंशकालिक परामर्शदाताओं की परिलब्धियों का निर्णय श्रम-दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

7. यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता – परामर्शदाताओं को, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, घरेलू दौरों पर जाने की आवश्यकता हो सकती है और उनके लिए निम्नलिखित टीए/डीए की अनुमति होगी।

पद	यात्रा का साधन	होटल, टैक्सी तथा भोजन बिलों की प्रतिपूर्ति
यंग प्रोफेशनल/परामर्शदाता	विमान द्वारा इकोनमी श्रेणी में या रेल द्वारा	होटल में रहने के एवज़ में प्रतिदिन 2250/- रु. तक; शहर में यात्रा के लिए टैक्सी प्रभार

श्रेणी 1	वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में	की मद में प्रतिदिन 338/- रु. तक और भोजन बिल की मद में प्रतिदिन अधिकतम 900/- रु. तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।
परामर्शदाता श्रेणी 2	विमान द्वारा इकोनमी श्रेणी में या रेल द्वारा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में	होटल में रहने के एवज़ में प्रतिदिन 4500/- रु. तक; शहर में यात्रा के लिए एसी टैक्सी प्रभार की मद में 50 कि.मी. तक और भोजन बिल की मद में प्रतिदिन अधिकतम 1000/- रु. तक की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।
वरिष्ठ परामर्शदाता	विमान द्वारा बिज़नस श्रेणी में या रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में	होटल में रहने के एवज़ में प्रतिदिन 7500/- रु. तक; शहर के अंदर एसी टैक्सी के लिए टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई सीमा नहीं और भोजन बिल की मद में प्रतिदिन अधिकतम 1200/- रु. की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी।

8. चयन प्रक्रिया

8.1 परामर्शदाताओं का चयन जीएफआर 2017 में नियम 177 से 196 के तहत शामिल उपबंधों तथा कंसल्टेंसी और अन्य सेवाओं के प्रापण संबंधी मैनुअल 2017 के अध्याय 7-परामर्शदाता/सेवा प्रदाता का चयन (पैरा 7.1 और 7.2) अध्याय-6 (पैरा 6.5) के अनुसार किया जाएगा।

8.2 नीति आयोग की आवश्यकताओं के बारे में समय-समय पर इसकी वेबसाइट और कम-से-कम एक समाचार-पत्र (हिंदी और अंग्रेजी, दोनों) में विज्ञापित किया जाएगा।

8.3 प्राप्त आवेदनों को संवीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा जिसका संघटन निम्नानुसार होगा:

अपर सचिव	अध्यक्ष
सलाहकार (प्रशासन)	सदस्य
सीईओ द्वारा नामित सलाहकार-सदस्य	सदस्य

8.4 संवीक्षा समिति आवेदकों की छंटनी करेगी और प्रत्येक रिक्ति के लिए कम-से-कम 3 पात्र अभ्यर्थियों के पैनल की सिफारिश करेगी।

8.5 छांटे गए आवेदनों के पैनल को परामर्श-सेवा मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा जिसका संघटन निम्नानुसार होगा:

सीईओ[#]	अध्यक्ष
एएसएंडएफए या एएसएंडएफए का प्रतिनिधि	सदस्य
सलाहकार (प्रशासन)	सदस्य
सीईओ द्वारा नामित सलाहकार	सदस्य

[*]सीईसी में मामला-दर-मामला आधार पर एक बाह्य विशेषज्ञ शामिल हो सकता है।

#सीईओ अपर सचिव स्तर के किसी अधिकारी को सीईसी के अध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है।

8.6 सीईसी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनी स्वयं की पद्धति का निर्धारण कर सकती है। सीईसी वैधता के साथ आरक्षित सूची में रखने के लिए नामों के एक पैनल की सिफारिश कर सकती है।

8.7 कुछ अपवादी मामलों में, उपाध्यक्ष के अनुमोदन से, जीएफआर 2017 के अनुसार एक ही स्रोत से चयन पर विचार किया जा सकता है। तथापि, परामर्श सेवा मूल्यांकन समिति (सीईसी) द्वारा इसके लिए पूरा औचित्य दिया जाना चाहिए।

8.8 नीति आयोग जीएफआर, 2017 के नियम 194 के तहत प्रतिनियुक्ति आधार पर आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस और आईसीएआर जैसी अन्य अनुसंधान संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए परंतु इन्ही तक सीमित न रहते हुए प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों जैसे कि एनआईपीएफपी, आईईजी, एनसीएईआर, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं से भी परामर्शदाताओं को काम पर रख सकता है। अपवादी मामलों में, उपाध्यक्ष के अनुमोदन से आईसीआरआईईआर, एफआईसीसीआई, सीआईआई, नीति अनुसंधान केन्द्र जैसी निजी संस्थाओं/संगठनों/थिंक टैंकों से भी प्रतिनियुक्ति आधार पर व्यक्तियों को काम पर रखा जा सकता है। यह नियोजन, मूल नियोक्ता को ऐसी मासिक राशि के भुगतान पर आधारित होगा जिसके अंतर्गत चयनित व्यक्ति को देय वेतन और अन्य भत्तों की लागत तथा दिनांक 25.10.2016 की आईडी सं. 26/1/2016-पीपीडी के तहत संसूचित व्यय विभाग के अनुमोदन के अनुसार अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की जाएगी।

8.9 **भुगतानः-** भुगतान, परामर्शदाता द्वारा पंजीकृत बायोमीट्रिक हाज़िरी अथवा परामर्शदाता के अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति किए जाने के मामले में संबंधित सलाहकार के सत्यापन के आधार पर एक माह पूरा होने पर एक सप्ताह के भीतर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

9. छुट्टीः- परामर्शदाता यथानुपात आधार पर एक वर्ष में 8 दिन की छुट्टी के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, एक माह तक अनुपस्थिति को बिना पारिश्रमिक माना जा सकता है। तथापि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आदि के आपवादिक मामलों में सीईओ, नीति आयोग द्वारा शिथिलता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला परामर्शदाता श्रम और रोज़गार मंत्रालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के आदेश सं. एस-36012/03/2015-एसएस-1 के तहत जारी मातृत्व लाभ(संशोधित) अधिनियम, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी।

10. स्रोत पर कर कटौतीः- वेतन जारी करने से पूर्व स्रोत पर आयकर और अन्य कर लागू नियमों के अनुसार काटे जाएंगे जिसके लिए नीति आयोग टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा। वस्तु और सेवाकर जो भी लागू हो परामर्शदाताओं को स्वीकार्य होगा। नीति आयोग की परामर्शदाता द्वारा इस संविदा के तहत किए गए भुगतानों पर देयकरों या अन्य अंशदान के लिए किसी देयता की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

11. पुलिस सत्यापनः-परामर्शदाता का पुलिस सत्यापन गृह मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। पुलिस सत्यापन के नकारात्मक प्राप्त होने की स्थिति में, परामर्शदाता के साथ संविदा बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

12. प्रशिक्षणः-कार्यग्रहण के बाद, सभी परामर्शदाताओं को न्यूनतम तीन दिन का शुरूआती प्रशिक्षण(भुगतान योग्य नहीं) प्रदान किया जाएगा।

13.शिथिलनः- जहां उपाध्यक्ष, नीति आयोग का यह विचार है कि ऐसा किया जाना अनिवार्य और उचित है, यह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए इन नियमों के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकता है।

14. परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता, यंग प्रोफेशनल्स और अनुसंधान एसोसिएट जिनको दिशानिर्देशों के तहत नियोजित किया गया है, वे उनकी मौजूदा संविदा की समाप्ति तक के दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों से शासित होंगे। कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विस्तार इन नये नियमों के अध्यधीन होगा।

15. नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अनुमोदन तथा विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएस और एफए) द्वारा दिनांक 14.01.2020 की एफटीएस संख्या 3509 के माध्यम से प्रदत्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शशि पाल)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवार्थ

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग के निजी सचिव
2. राज्यमंत्री (प्रभार स्वतंत्र) के निजी सचिव
3. सदस्य (वीकेएस) सचिव निजी के
4. सदस्य (आरसी) के निजी सचिव
5. सदस्य (वीकेपी) के निजी सचिव
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. सलाहकार (प्रशासन) के निजी सचिव
8. समस्त सलाहकार, नीति आयोग
9. निदेशक (प्रशासन)
10. उप सचिव (प्रशासन ।।। एवं ।v)
11. एनआईसी (नीति आयोग में ई–मेल से प्रसार हेतु)

भारत सरकार
नीति आयोग

एक वैयक्तिक परामर्शदाता की सेवाओं हेतु संविदा

फाइल सं- दिनांक:-

यह संविदा ------------------- को (तारीख डालें) नीति आयोग तथा श्री/सुश्री/श्रीमती --------------- पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ------------------ (इसके पश्चात ''वैयक्तिक परामर्शदाता के रूप में संदर्भित) के बीच की गई है।

जिनका पता है --------------------------------

जबकि नीति आयोग वैयक्तिक परामर्शदाता की सेवाओं को इसके पश्चात प्रस्तुत किए गए निबंधन और शर्तों पर नियोजित करने का इच्छुक है, तथा:

जबकि वैयक्तिक परामर्शदाता उक्त निबंधन और शर्तों पर नीति आयोग के साथ संविदा स्वीकार करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है

अब, अत:, दोनों पक्ष एतद्वारा इस प्रकार सहमत है:

1. सेवाओं की प्रकृति

वैयक्तिक परामर्शदाता विचारार्थ विषय में बताई यथा दर्शाई गई सेवाओं का निष्पादन करेगा जो इस संविदा का अटूट अंग होगी और इसके साथ परिशिष्ट-। के रूप में संलग्न है।

2. अवधि

यह वैयक्तिक संविदा ------------------ (तारीख डालें) को शुरू होगी और ऊपर उल्लिखित विचारार्थ विषय में बताई गई सेवाओं के संतोषप्रद पूर्ण होने पर समाप्त होगी, परन्तु --------------- (तारीख डालें) के बाद नहीं, जब तक कि इस संविदा की शर्तों के अनुसरण में इन्हें पहले ही समाप्त न कर दिया जाए। वह ---------------- **(परामर्शदाता अथवा वरिष्ठ परामर्शदाता अथवा यंग प्रोफेशनल डालें)** के रूप में पदनामित होंगे। यह संविदा **''नीति आयोग में परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के नियोजन हेतु प्रक्रिया और दिशा-निर्देश''** दिनांक...................में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी और इसके साथ परिशिष्ट-।। के रूप में संलग्न है।

3. भुगतान

सभी लागू करों सहित --------------- रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह का समेकित वेतन वैयक्तिक परामर्शदाता को संतोषप्रद सेवाओं के अधीन भुगतान किया जाएगा। यदि नीति आयोग द्वारा ड्यूटी स्टेशन के बाहर और पूर्व लिखित समझौते पर अप्रत्याशित यात्रा का अनुरोध किया जाए, तो यह यात्रा नीति आयोग के व्यय पर होगी और वैयक्तिक परामर्शदाता उक्त निबंधन और शर्तों और निबंधनों के अनुसार टीए/डीए प्राप्त करेगा।

4. वैयक्तिक परामर्शदाता के अधिकार और दायित्व

वैयक्तिक परामर्शदाता के अधिकार और दायित्व संविदा के परिशिष्टों सहित निबंधन और शर्तों तक ही सख्ती से सीमित होंगे। तदनुसार, वैयक्तिक परामर्शदाता संविदा में वर्णित प्रावधानों के अलावा, किसी लाभ, भुगतान, सहायता, मुआवज़े और अधिकार के लिए अधिकृत नहीं होगा। वैयक्तिक परामर्शदाता, इस संविदा के निष्पादन के दौरान उसके स्वयं के कृत्य या चूक से उत्पन्न तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा और किसी भी स्थिति में नीति आयोग तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ऐसे दावे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, दोनों पक्षों ने इस संविदा को कार्यान्वित किया है।

नीचे हस्ताक्षर कर, मैं, वैयक्तिक परामर्शदाता अभिस्वीकृति और सहमति देता हूं कि मैंने ''परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता/यंग प्रोफेशनल के नीति आयोग में नियोजन दिनांक ....'' की हेतु प्रक्रिया और दिशा – निर्देशों सहित तथा अनुबंध-।। के रूप में संलग्न जो इस संविदा का अटूट भाग हैं की शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हूं।

वैयक्तिक परामर्शदाता ने अच्छे स्वास्थ्य का विवरण और पुलिस सत्यापन का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है।

प्राधिकारी अधिकारी: नीति आयोग	**वैयक्तिक परामर्शदाता**
नाम:	नाम:
हस्ताक्षर: -----------------------	हस्ताक्षर: ----------------------
दिनांक:	दिनांक:
स्थान:	स्थान:

परिशिष्ट–।

वैयक्तिक परामर्शदाता के विचारार्थ विषय

नीति आयोग संदर्भ:

शीर्षक: यंग प्रोफेशनल/परामर्शदाता/वरिष्ठ परामर्शदाता

(नियोजन पर लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निम्नलिखित को संबंधित वर्टिकल द्वारा भरा जाए और प्रशासन को भेजा जाए)

1. वर्टिकल का नाम:
2. असाइनमेंट का प्रयोजन:
3. अवधि:
4. असाइनमेंट संबंधी कार्य और उससे संबंधित अन्य कार्य:
5. अर्हता तथा योग्यता:
   क. शैक्षिक:
   ख. कार्य अनुभव: